प्रकरण संख्या 34/2015 जगदीश बनाम नारेग

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की सुनी गयी बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रकरण में पत्रावली दिनांक 08.10.2014 को साक्ष्य जिरह प्रतिवादी में लम्बित थी, जो दिनांक 13.05.2015 तक इसी स्थिति में लम्बित रही। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 22.06.2015 को अपीलान्ट/वादी को सूचित किये बिना प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर वादीगण के अनुपस्थिति में तथा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति में सुनवाई कर तथा बिना प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट की साक्ष्य लिए साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर दी एवं अपीलान्ट/वादी को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण में वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी की साक्ष्य पर जिरह करवाकर प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31.10.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 34/2015 जगदीश बनाम नारेग

प्रकरण संख्या 34/2015 जगदीश बनाम नारेग